अध्याय V: ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निस्तारण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अपशिष्ट के प्रसंस्करण को किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसके द्वारा पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण या नए उत्पादों में परिवर्तन के उद्देश्य से पृथक ठोस अपशिष्ट को निस्तारित किया जाता है। भारतीय कानून और नियम स्वास्थ्यकर भरण स्थल में कार्बनिक पदार्थों को निस्तारित करने की अनुमति नहीं देता है और अधिदेश है कि प्रसंस्करण एवं सड़क सफाई आदि से प्राप्त अस्वीकृत निष्क्रिय अपशिष्ट को भूमि भरण स्थल में निस्तारित किया जा सकता है। इस अध्याय में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना एवं संचालन, भूमि भरण स्थलों और पुराने अपशिष्ट की स्थिति को आच्छादित किया गया है।

अध्याय का सारांश:

- वर्ष 2016-22 के मध्य एकत्र किए गए कुल अपशिष्ट के सापेक्ष राज्य स्तर पर 26 से 71 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया था और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर शून्य से 63 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2005-15 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन स्कीम और राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में से मात्र 20 संयंत्र स्थापित किए गए थे जिसमे से मात्र 15 संयंत्र संचालित थे।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत 36 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के सापेक्ष 19 संयंत्रों का सिविल निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था, तथापि, इन संयंत्रों को क्रियाशील नहीं किया जा सका क्योंकि मशीनरी क्रय नहीं की गयी थी |
- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में कमी पायी गई थी।
- नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 42 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई थी। तथापि, 36 शहरी स्थानीय निकायों में मानकों की तुलना में आवंटित भूमि अपर्याप्त थी।

- शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के उचित निस्तारण की कमी के कारण पुराने अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई थी। 72 शहरी स्थानीय निकायों में अनुमानित पुराने अपशिष्ट की मात्रा 84.58 लाख मीट्रिक टन थी। शेष शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेक्षण नहीं किये जाने के कारण पुराने अपशिष्ट की मात्रा का आँकलन नहीं किया जा सका।

5.1 ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की स्थिति

वर्ष 2016-22 की अवधि के दौरान राज्य और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में संग्रहीत और प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट की स्थिति ***परिशिष्ट 5.1(ए)*** एवं ***5.1(बी)*** में वर्णित है और **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1: राज्य एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर संग्रहीत ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्करण की स्थिति

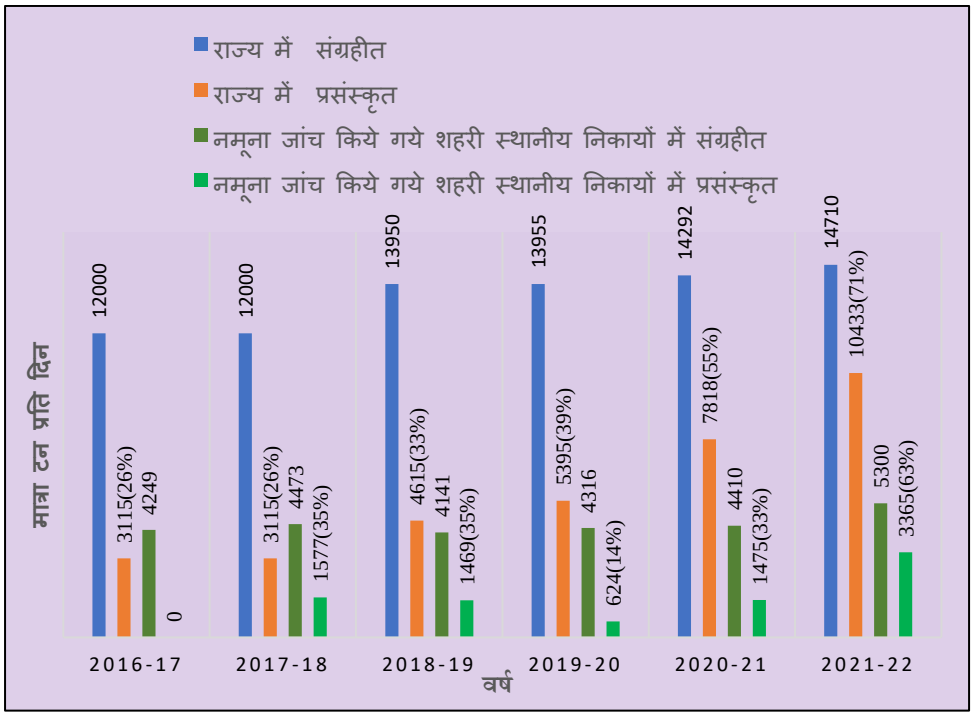

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

जैसा कि **चार्ट 5.1** में वर्णित है, वित्तीय वर्ष 2016-22 के दौरान, राज्य स्तर पर संग्रहीत अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट 26 से 71 प्रतिशत के मध्य था और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर, यह क्रमशः शून्य से 63 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार, राज्य स्तर पर अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थिति विगत कुछ वर्षों में 26 प्रतिशत (2016-17) से बढ़कर 71 प्रतिशत (2021-22) हो गयी।

अग्रेतर, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.1 (ए)*** में वर्णित है, वर्ष 2016-22 के दौरान, राज्य स्तर पर उत्पन्न अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट 20 और 71 प्रतिशत के मध्य था और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर, यह शून्य और 60 प्रतिशत के मध्य था।

5.2 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(v) के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और सम्बद्ध बुनियादी ढाँचा के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु उत्तरदायी हैं। इन सुविधाओं को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्वयं अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के अधिकतम उपयोग और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने के उद्देश्य से विकसित किया जा सकता है। स्थानीय प्राधिकारियों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण विधियों[1] को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 22 के अनुसार, एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले सभी स्थानीय निकायों को दो वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करना आवश्यक है।

2004-2015 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं[2] के अंतर्गत 8,550 टन प्रतिदिन की संचयी क्षमता वाले 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों[3] को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-22 की अवधि में, राज्य के 36 शहरी स्थानीय निकायों हेतु स्वच्छ भारत मिशन

---

[1] जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट के जैव-स्थिरीकरण हेतु जैविक मिथेनीकरण, कम्पोसटीकरण, कृमि कम्पोस्ट बनाना, अवाबुजीवी उपचारण या कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण।

[2] जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजनान्तर्गत 27 संयंत्र, एयर फील्ड टाउन योजनान्तर्गत दो संयंत्र और शेष तीन संयंत्र राज्य सेक्टर के अंतर्गत स्वीकृत किये गए थे।

[3] 2004-05 (एक संयंत्र), 2005-06 (एक संयंत्र), 2006-07 (16 संयंत्र), 2007-08 (11 संयंत्र), 2011-12 (एक संयंत्र) और 2014-15 (दो संयंत्र)।

(शहरी) योजना के अंतर्गत 4,305 टन प्रतिदिन की संचयी क्षमता वाले 36 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को स्वीकृत दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नगर निगम गाजियाबाद में तीन संयंत्र और नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर में एक स्क्रीनिंग/प्रोसेसिंग मशीन स्थापित की जानी थी, जिसे केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया था।

5.2.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

2005-15 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया था। तथापि, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मात्र 20 संयंत्र स्थापित किये गये थे, जिनमें से मात्र 15 संयंत्र संचालित थे और पांच संयंत्र असंचालित थे। शेष 12 संयंत्र स्थापित नहीं किये गये थे। इन संयंत्रों की स्थिति ***परिशिष्ट 5.2*** में दी गई है तथा **तालिका 5.1** में संक्षेप में दी गयी है।

तालिका 5.1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की मार्च 2022 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति	संयंत्र की संख्या	स्वीकृत धनराशि
स्थापित संयंत्र		
संचालित संयंत्र	15	325.75
असंचालित संयंत्र [4]	5	41.55
योग	**20**	**367.30**

[4] स्थानीय निकाय निदेशालय ने नगर पालिका परिषद बाराबंकी, मैनपुरी और रायबरेली में संयंत्र संचालित न होने का कारण नहीं बताया। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार: (i) नगर निगम बरेली में संयंत्र के लगभग एक वर्ष तक संचालन के बाद, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की आपत्ति के कारण संयंत्र बंद कर दिया गया और (ii) नगर पालिका परिषद फतेहपुर के प्रकरण में, प्रचालक के साथ विवाद के कारण संयंत्र का संचालन बंद हो गया।

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति	संयंत्र की संख्या	स्वीकृत धनराशि
अस्थापित संयंत्र		
निर्माण कार्य पूर्ण परन्तु मशीनरी आधिष्ठापित नहीं	1	11.81
निर्माणाधीन	6	58.27
भूमि अनुपलब्ध	2	23.13
भूमि विवाद	3	54.89
योग	**12**[5]	**148.10**
महायोग	**32**	**515.40**

(स्रोत: कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम और स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को कुल धनराशि ₹ 421.68 करोड़ निर्गत की गयी थी। इस धनराशि में से ₹ 361.95 करोड़ का उपभोग किया गया था, जबकि विभिन्न कारणों[6] से कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम के पास ₹ 59.73 करोड़ अप्रयुक्त रही। जुलाई 2023 तक, अवशेष धनराशि पर ₹ 29.97 करोड़ का ब्याज अर्जित हुआ। परिणामस्वरूप, कार्यदायी संस्था स्तर पर कुल धनराशि ₹ 89.70 करोड़ अवरुद्ध थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में विस्तृत रूप से वर्णित है ।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि संयंत्रों के रुकने या असंचालित होने के प्रकरणों को 2019 और 2022 के मध्य समाधान किया गया था। राज्य सरकार ने आगे बताया कि 10 संयंत्रों का निर्माण किया गया था और दो अन्य संयंत्रों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद रायबरेली में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन के लिए नयी निविदा निकाली गयी है।

राज्य सरकार द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान (जुलाई 2023) की गयी इन प्रसंस्करण संयंत्रों की आगे की स्थिति में निर्दिष्ट किया गया है कि 12 संयंत्र अभी

[5] स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि 12 संयंत्रों को पूर्ण करने का लक्ष्य दिसंबर 2024 है ।

[6] भूमि विवाद, भूमि अनुपलब्ध, निर्माणाधीन संयंत्र, निर्गत धनराशि से कम में संयंत्र को पूर्ण करना।

तक स्थापित नहीं किये जा सके और पांच संयंत्र स्थापना के बावजूद असंचालित रहे। इसके अतिरिक्त, उत्तर में कार्यदायी संस्था स्तर पर धनराशि अवरुद्ध रखने के प्रकरण को इंगित नहीं किया गया। इन प्रसंस्करण संयंत्रों के प्रकरण में कमियों की चर्चा प्रस्तर 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 और 5.3.4 में की गयी है |

5.2.2 स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत राज्य के 36 शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत 36 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने हेतु कार्यदायी संस्था थी। स्वीकृत लागत ₹ 370.41 करोड़[7] में से कुल ₹ 323.38 करोड़ निर्माण कार्यों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किये गये थे[8] और ₹ 278.01 करोड़ व्यय किये गये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 5.4*** में विस्तृत रूप में वर्णित है और **तालिका 5.2** में संक्षेप में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण कार्य की स्थिति

संयंत्र की स्थिति	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	संयंत्र की क्षमता (टन प्रतिदिन में)	(₹ करोड़ में)		
			स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित	14	1370	119.87	118.75	110.55
निर्माण कार्य पूर्ण	5	395	43.56	42.38	37.05
निर्माण कार्य प्रगति पर	14	2390	188.97	153.24	129.96
निर्माण कार्य अनारंभ	2	100	10.59	5.30	0
विवाद के कारण निर्माण कार्य बंद	1	50	7.42	3.71	0.45
योग	**36**	**4305**	**370.41**	**323.38**	**278.01**

(स्रोत: स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

[7] अक्टूबर 2021, नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 के दौरान विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

[8] यह धनराशि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को किस्तों में माह नवंबर 2021, दिसंबर 2021, मई 2022, अगस्त 2022, अक्टूबर 2022, जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 और जून 2023 में निर्गत की गयी थी।

जैसा कि **तालिका 5.2** से स्पष्ट है कि 17 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का निर्माण कार्य अभी पूर्ण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, शेष 19 संयंत्र जहां कार्य पूर्ण हो गया था, इन्हें जून 2023 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका क्योंकि इन संयंत्रों के लिए मशीनरी क्रय नहीं की गयी थी।

छ:[9] शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां प्रसंस्करण संयंत्र 200 टन प्रतिदिन क्षमता से अधिक का था, संयंत्रों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी सिद्धांत के आधार पर संचालित किया जाना था और मशीनरी शहरी स्थानीय निकायों/रियायतग्राही द्वारा क्रय की जानी थी। तथापि, इन छ: प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए मशीनरी अभी तक (जुलाई 2023) क्रय नहीं गयी थी। शेष 30 शहरी स्थानीय निकायों में, राज्य सरकार द्वारा मशीनरी क्रय करने के लिए निधियाँ प्रदान की जानी थीं। तथापि, राज्य सरकार को अभी भी शहरी स्थानीय निकाय को धनराशि निर्गत किया जाना शेष था (जुलाई 2023)|

इसके अतिरिक्त, टांडा अम्बेडकर नगर के एक संयंत्र के प्रकरण में, संयंत्र के निर्माण कार्य पर धनराशि ₹ 45.32 लाख व्यय की गयी थी। तथापि, भूमि विवाद के कारण कार्य रोक (अप्रैल 2022) दिया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि 14 संयंत्र जून 2023 से क्रियाशील हो जाएंगे और अतिरिक्त 22 संयंत्र दिसंबर 2023 तक क्रियाशील हो जाएंगे। तथापि, उपलब्ध कराया गया उत्तर आधारहीन है क्योंकि 17 संयंत्रों का सिविल कार्य अभी भी अधूरा था और जुलाई 2023 तक किसी भी संयंत्र में मशीनरी की स्थापना के लिए कोई निधि निर्गत नहीं की गई थी। अग्रेतर, टांडा अंबेडकर नगर संयंत्र के लिए वैकल्पिक स्थल कार्यदायी संस्था को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया था (अगस्त 2023)।

5.2.3 केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषित प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

5.2.3.1 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, प्रताप विहार, गाजियाबाद पर अलाभकारी व्यय

प्रताप विहार, गाजियाबाद में ₹ 4.61 करोड़ की अनुमानित लागत में 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला शोधन और निस्तारण संयंत्र

[9] नगर निगम बरेली, नगर निगम फिरोजाबाद, नगर निगम गोरखपुर, नगर निगम झांसी, नगर निगम सहारनपुर, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद।

(सितम्बर 2014) स्वीकृत किया गया था । कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को निधियाँ अवमुक्त[10] की गयी थी। संयंत्र का निर्माण मार्च 2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम ने ₹ 4.61 करोड़ की लागत में कार्य पूर्ण होने की सूचना दी (मई 2017)। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत इन्वेंट्री के दृष्टिगत, संयंत्र की कार्यक्षमता और भौतिक स्थिति का आँकलन करने के लिए नगर निगम और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का गठन मई 2017 में किया गया था। समिति की रिपोर्ट में उपकरण और मशीनरी की कमियों[11] और संयंत्र की असंचालित स्थिति पर प्रकाश डाला गया, जिसके कारण संयंत्र के अधिग्रहण को रोक दिया। तथापि, निर्माण एजेंसी ने संयंत्र को क्रियाशील करने के लिए कोई पहल नहीं की। दिसंबर 2021 में, नगर आयुक्त ने कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बंधित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराने और मूल प्रस्ताव के अनुसार परियोजना को नगर निगम को सौंपने का अनुरोध किया। लेखापरीक्षा दल और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2022) में यह पुष्टि की गयी थी कि संयंत्र अक्रियाशील था और स्थल पर ट्रॉमेल[12] जीर्णशीर्ण स्थिति में था। तथापि, जनवरी 2023 तक, संयंत्र संचालित नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, प्रताप विहार क्षेपण स्थल पर पुराने अपशिष्ट की पर्याप्त मात्रा, लगभग पांच लाख मीट्रिक टन एकत्रित हो गयी और पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए दिसंबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान ₹ 15.40 करोड़ व्यय किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर निगम ने कार्यदायी संस्था से संयंत्र को क्रियाशील बनाने और इसे नगर निगम को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था।

---

[10] मार्च, 2013 में रु 2.30 करोड़ और नवम्बर, 2014 में रु 2.30 करोड़ की दूसरी किस्त।

[11] सीवर पंप की स्थापना नहीं की , एक जेसीबी (लागत 27 लाख रुपये) और दो ट्रैक्टर (लागत 12 लाख रुपये) क्रय नहीं किये गये, बिजली आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त।

[12] ट्रॉमेल स्क्रीन एक घूमने वाला गोलाकार जालीदार ड्रम है जो ठोस अपशिष्ट पदार्थों को उनके आकार के आधार पर छांटता है।

5.2.3.2 नगर निगम गाजियाबाद में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में असामान्य विलम्ब

उत्तर प्रदेश सरकार ने[13] अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादित करने वाले संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया और नवंबर 2018 में जीसी इंटरनेशनल नीदरलैंड (डेवलपर) को सहमति पत्र निर्गत किया गया था। डेवलपर और नगर निगम गाजियाबाद के मध्य संयंत्र स्थापित करने के लिए अक्टूबर 2019 में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। नगर निगम ने 1,21,082 वर्गमीटर भूमि डेवलपर को 30 वर्ष की अवधि के लिये, अनुमानित वार्षिक किराया ₹ 1.21 लाख पर पट्टे पर दी। संयंत्र में लगभग 2,300 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट की दैनिक क्षमता का अनुमान लगाया गया था, जिससे उत्तपन्न होने वाले 50 से 60 मेगावाट विद्युत का निर्यात ग्रिड को सार्वजनिक-निजी भागेदारी सिद्धांत पर विद्युत खरीद समझौते के अंतर्गत किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को 39.29 एकड़ भूमि हस्तांतरित की, और नगर निगम ने ₹ 14.28 करोड़ का व्यय करके किसानों से अतिरिक्त 4.96 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। नगर निगम द्वारा अनवरत पत्राचार के बावजूद, डेवलपर ने उत्तर नहीं दिया और कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2020 में, नगर निगम ने प्रकरण को उत्तर प्रदेश सरकार को डेवलपर को कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश देने के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए संदर्भित किया । इसके अतिरिक्त, नगर निगम ने परियोजना[14] की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में चिंता जतायी (फरवरी 2021), अर्थात, प्रस्ताव की स्वीकृति, पट्टा विलेख के निष्पादन और किसानों से भूमि अधिग्रहण पर ₹ 14.28 करोड़ का व्यय करने के पश्चात।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि इस प्रकरण को संबोधित किए बिना मात्र नगर निगम गाजियाबाद के उत्तर को उद्धृत करते हुए कहा कि डेवलपर फर्म ने निर्दिष्ट भूमि पर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र

[13] जिला हापुड़ के गलंद में।

[14] ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए डेवलपर द्वारा प्रस्तुत (जुलाई 2019) प्रस्ताव में उद्धृत दरें ₹ 1,711.00 प्रति मीट्रिक टन थीं। नगर निगम के अनुसार, प्रस्तावित दरें बहुत अधिक होने के कारण, नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न 1,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्वयं के स्रोतों से प्रति वर्ष ₹ 93.68 करोड़ का अनुमानित व्यय वहन करने में असमर्थ था।

स्थापित करने के लिए कार्य प्रारम्भ नहीं किया था और डेवलपर को निर्देश निर्गत करने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

इस प्रकार, चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने और भूमि अधिग्रहण पर ₹ 14.28 करोड़ व्यय होने के बावजूद नगर निगम गाजियाबाद में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

5.2.3.3 नगर निगम गाजियाबाद में विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना पर ₹ 13.02 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय

नगर निगम ने सितंबर 2020 में सार्वजनिक-निजी भागेदारी सिद्धांत के आधार पर नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसे गार्बेज फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। मैसर्स जेरोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को 25 वर्ष की रियायत अवधि के लिए परियोजना को निष्पादित करने के लिए रियायतग्राही के रूप में चयन किया गया था।

अनुबंध (अक्टूबर 2020) के अनुसार, नगर निगम को पूर्ण सिविल कार्य[15] बुनियादी ढांचे और कुछ वाहनों[16] के साथ रियायतग्राही को भूमि उपलब्ध करानी थी, जबकि रियायतग्राही अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अपनी लागत पर आवश्यक मशीनरी[17] स्थापित करेगा। प्रारंभ में, परियोजना को दो स्थानों, सिहानी और रेत की मंडी/हिंडन विहार में 700 टन[18] प्रति दिन की संयुक्त क्षमता के साथ संचालित करने की योजना बनायी गयी थी, जिसे दो अतिरिक्त स्थानों के साथ 1,500 टन प्रति दिन तक बढ़ाया जा सकता है। नगर निगम ने दोनों स्थानों पर प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण पर ₹ 13.02 करोड़[19] व्यय किया (जनवरी 2023)।

---

[15] चहारदीवारी, प्रसंस्करण शेड, कंक्रीट फर्श, मशीन फाउंडेशन, भंडारण कक्ष, पूरी तरह से संचालित कार्यालय के साथ प्रशासनिक ब्लॉक, सभागार कक्ष, शौचालय, धर्मकाँटा कक्ष, श्रमिक कैंटीन और शौचालय, बागवानी और हरित क्षेत्र, फायर टैंक और उच्च दबाव अग्नि हाइड्रेंट प्रणाली, बोरवेल, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग।

[16] जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर।

[17] आकार और घनत्व पृथक्करण प्राप्त करने के लिए यंत्रीकृत पृथक्करण मशीनरी, विद्युत पैनल, डिजिटल धर्मकाँटा, आईटी सॉफ्टवेयर प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, जहां भी आवश्यक हो आईओटी सेंसर।

[18] सिहानी: 200 टन प्रतिदिन और रेत की मंडी/हिंडन विहार: 500 टन प्रतिदिन

[19] व्यय- सिहानी: ₹ 3.65 करोड़ और रेत की मंडी/हिंडन विहार: 14वें वित्त अनुदान से ₹ 9.37 करोड़।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि दोनों स्थानों पर स्थापित गार्बेज फैक्ट्री को अपशिष्ट प्रसंस्करण के उद्देश्य से क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही ने मशीनरी को गाजियाबाद में गार्बेज फैक्ट्री स्थल से मोर्टा स्थल पर विस्थापित कर दिया और अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रारम्भ (जुलाई 2022) कर दिया। जबकि, नगर निगम गार्बेज फैक्ट्री (सिहानी) के भाग का उपयोग सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के रूप में किया जा रहा था और रेत की मंडी में स्थापित गार्बेज फैक्ट्री का उपयोग अपशिष्ट बीनने वालों द्वारा पुनर्चक्रण योग्य समाग्री की छँटायी के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार, ₹ 13.02 करोड़ व्यय के बावजूद नगर निगम विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण सुविधाओं का संचालन करने में असफल रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर निगम ने जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट के प्रसंस्करण के उद्देश्य से गार्बेज फैक्ट्री का निर्माण यह मानते हुए प्रारम्भ किया कि सुविधा पर प्रसंस्करण के लिए घरों और अन्य प्रतिष्ठानों से पृथक्कृत अपशिष्ट प्राप्त होगा। तथापि, पृथक्कृत अपशिष्ट गार्बेज फैक्ट्री में नहीं प्राप्त हो रहा था। परिणामस्वरुप, नगर निगम ने सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के रूप में गार्बेज फैक्ट्री का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया।

तथ्य यह है कि परियोजना पर ₹ 13.02 करोड़ व्यय होने के बावजूद गार्बेज फैक्ट्री का उपयोग विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण के वांछित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था।

5.2.3.4 नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर में निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट स्क्रीनिंग मशीन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर में ₹ 26.84 लाख की लागत से 10 टन प्रतिदिन प्रसंस्करण करने में सक्षम कन्वेयर के साथ एक स्क्रीनिंग मशीन[20] क्रय (मार्च 2021) की गयी। तथापि, इसे बिना उचित शेड वाले क्षेत्र में अधिष्ठापित किया गया था और संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2023) के दौरान मशीन असंचालित एवं निष्क्रिय पायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, मशीन को संचालित करने के लिए विद्युत संयोजन नहीं था, यद्दपि शहरी स्थानीय निकाय ने विद्युत

[20] अपशिष्ट से परिवर्तित खाद की स्क्रीनिंग के लिए।

संयोजन के लिए आवेदन किया था, जो मशीन के संचालन के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय की शिथिलिता को प्रदर्शित करता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर ने लेखापरीक्षा टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया।

5.3 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का संचालन और रखरखाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में छ:[21] संयंत्र संचालित किये गये थे, जिनमें से वर्तमान में मात्र दो[22] संयंत्र ही संचालित थे और शेष चार[23] संयंत्र बंद पाए गये, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

5.3.1 लखनऊ में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

लखनऊ शहर में दो प्रसंस्करण संयंत्र हैं: पहला एशिया बायोएनर्जी इंडिया लिमिटेड संयंत्र है जो बारावां खुर्द, लखनऊ (लखनऊ-हरदोई रोड) में स्थित है और दूसरा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जो शिवरी, लखनऊ में स्थित है। तथापि, एशिया बायोएनर्जी इंडिया लिमिटेड संयंत्र को फरवरी 2004 में बंद कर दिया गया था और तब से यह बंद[24] है। दूसरी ओर, शिवरी, लखनऊ का ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र वर्तमान में संचालित है, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तर में चर्चा की गयी है।

5.3.1.1 लखनऊ शहर के शिवरी में स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र

फर्म मेसर्स ज्योति एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड को अपशिष्ट के परिवहन और शिवरी, लखनऊ में स्थित 1,200 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए 30 वर्षों की अवधि के लिए चयन किया गया था। नगर निगम लखनऊ, कंस्ट्रक्शन

---

[21] दो संयंत्र लखनऊ में, एक संयंत्र कानपुर में, एक संयंत्र रायबरेली में, एक संयंत्र मुजफ्फरनगर में और एक संयंत्र रेवती बलिया में। यह संयंत्र (एबीआईएल संयंत्र लखनऊ और रेवती बलिया के अतिरिक्त) स्वीकृत 32 संयंत्रों में सम्मिलित थे जो प्रस्तर 5.2.1 में उल्लिखित हैं।

[22] एक संयंत्र लखनऊ में (शिवरी संयंत्र) और एक संयंत्र कानपुर में।

[23] एक संयंत्र (एबीआईएल) लखनऊ में, एक संयंत्र रायबरेली में, एक संयंत्र मुजफ्फरनगर में और एक संयंत्र रेवती बलिया में।

[24] संयंत्र की स्थापना 20 वर्ष पहले 300 टन प्रतिदिन पृथक्कृत जैव-अपशिष्ट की आवश्यकता के साथ की गयी थी। फर्म ने नगर निगम द्वारा आपूर्ति किये जा रहे अपशिष्ट में जैविक सामग्री की कमी का दावा किया और इसलिए, संयंत्र को बंद कर दिया।

एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स ज्योति एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक त्रिपक्षीय रियायतग्राही अनुबंध निष्पादित (अक्टूबर, 2010) किया गया था। तथापि, अनुबंध के उल्लंघन के कारण फर्म की सेवाएं समाप्त (मार्च 2017) कर दी गयीं। इसके बाद, एक अन्य फर्म, इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उसी उद्देश्य के लिए चुना गया था, और नगर निगम लखनऊ, मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित (मार्च 2017) किया गया था। अनुबंध के अनुसार, नगर निगम को मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 1,604 प्रति मीट्रिक टन की दर से बख्शीश फीस का भुगतान करना था।

संयंत्र में पायी गयी कमियों पर आगामी प्रस्तरों के साथ-साथ ***परिशिष्ट 5.5*** में भी चर्चा की गयी है और संयुक्त भौतिक सत्यापन के आधार पर इसकी स्थिति **परिशिष्ट 5.6** में दर्शायी गयी है।

रियायतग्राही द्वारा बिल तैयार करना और नगर निगम द्वारा उसका भुगतान करना

अनुबंध के अनुच्छेद 10.2(सी) के अनुसार, रियायतग्राही के मासिक बिल अपशिष्ट के वजन के सत्यापन के लिए उत्तरदायी स्थानीय नगर निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि और स्वतंत्र अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित दैनिक वजन विवरण की मूल प्रति द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2017 से शहर में अपशिष्ट परिवहन और प्रसंस्करण कार्य प्रारम्भ किया, उसी अवधि से बख्शीश फीस बिलों का प्रस्तुतीकरण प्रारंभ हुआ। तथापि, संयंत्र में परिवहन और प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा के अनुश्रवण के लिए एक स्वतंत्र अभियंता [25] या किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की अनुपस्थिति के कारण अपशिष्ट प्रभंदन की वास्तविक मात्रा को सत्यापित करना असंभव था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जनवरी 2018 से मार्च 2022 की अवधि के लिए फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों (धनराशि ₹ 215.89 करोड़) और पर्यावरण अभियंता के द्वारा सत्यापन के बाद भुगतान किये गये बिलों

[25] परियोजना के संचालन और रखरखाव की समीक्षा/निगरानी/पर्यवेक्षण के लिए स्वतंत्र अभियंता को नियुक्त किया जाना था।

(धनराशि ₹ 169.21 करोड़) के मध्य काफी अंतर था, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.7*** में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस प्रकार, फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से यह स्पष्ट था कि बिलों में उल्लिखित ठोस अपशिष्ट की मात्रा मनमाने तरीके से अंकित की गयी थी। अग्रेतर, प्रसंस्कृत अपशिष्ट की प्रामाणिकता के बारे में संशय था और बख्शीश फीस के रूप में भुगतान किया गया बख्शीश फीस ₹ 169.21 करोड़ को अनुबंध के अनुच्छेद 10.2(सी) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था।

नगर निगम ने स्वीकार (जून 2023) किया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल शहरी स्थानीय निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि और स्वतंत्र अभियंता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दैनिक तौल विवरण द्वारा समर्थित नहीं थे। तथापि, शहरी स्थानीय निकाय ने बताया कि कमांड कंट्रोल केंद्र द्वारा अनुश्रवण किये गये संयंत्र के धर्मकांटा अभिलेख के आधार पर भुगतान किया गया था। राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर प्रेषित (जून 2023) नहीं किया।

अपशिष्ट के संदिग्ध प्रसंस्करण के लिए ₹ 5.28 करोड़ का भुगतान

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विभिन्न तिथियों में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संपादित निरीक्षणों[26] के दौरान शिवरी लखनऊ में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र असंचालित पाया गया था। इसलिए, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सितंबर 2019 और अक्टूबर 2020 के मध्य कुल 409 दिनों तक संयंत्र के असंचालन के लिए फर्म पर ₹ 14.41 करोड़[27] और ₹ 25.33 करोड़[28] की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती अधिरोपित की । तथापि, फर्म ने इस अवधि के लिए प्रसंस्करण शुल्क के बिल प्रस्तुत किये और नगर निगम ने सितंबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान 3.20 लाख

[26] संयंत्र निरीक्षण तिथियां: 03.09.2019, 23.11.2019, 01.12.2019, 02.06.2020, 04.07.2020, 14.07.2020 और 28.10.2020।

[27] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फर्म पर 107 दिनों (03.09.2019 से 18.12.2019 तक) के डिफॉल्ट पर ₹14.41 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (जुलाई 2020) अधिरोपित किया था।

[28] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 302 दिनों (01.01.2020 से 28.10.2020) के डिफाल्ट के लिए ₹ 25.33 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के लिए फर्म के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस (नवंबर 2020) निर्गत किया था। तथापि, फर्म से असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होने के बाद, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उस अवधि के डिफॉल्ट पर ₹ 25.33 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (जनवरी 2023) अधिरोपित की थी । क्षतिपूर्ति अभी तक जमा नहीं की गयी थी (फरवरी 2023)।

मीट्रिक टन अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए रियायतग्राही को कुल ₹ 5.28 करोड़ का भुगतान किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.8*** में विस्तृत रूप से वर्णित है । इस प्रकार, नगर निगम ने उस अवधि के लिए भी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बिल का भुगतान किया जब संयंत्र संचालित नहीं था।

नगर निगम लखनऊ के प्रतिनिधि के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 14 जनवरी, 2022 को संपादित किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि संयंत्र असंचालित था और कई महीनों से उपयोग में नहीं था, यद्यपि संयंत्र के कर्मचारियों ने सूचित किया कि सयंत्र लगभग एक महीने से असंचालित था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पर्यावरणीय प्रभाव[29] वाले अपशिष्ट/पुराने अपशिष्ट का काफी संग्रहण पाया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि अभिलेख के अनुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमित अनुश्रवण के लिए 28 अक्टूबर 2020 को शिवरी संयंत्र का दौरा किया और पाया कि संयंत्र संचालन स्थिति में नहीं था। संयंत्र 3 नवंबर 2020 को फिर से संचालित हुआ। राज्य सरकार ने आगे उल्लेख किया कि नगर निगम लखनऊ द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2020 की अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था। यदि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के असंचालन अवधि के लिए कोई भुगतान किया गया था, तो नगर निगम लखनऊ रियायतग्राही के आगामी बिलों से धनराशि की कटौती कर लेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाया था कि संयंत्र का सितंबर 2019 से अक्टूबर 2020 के मध्य संचालन नहीं हुआ था और तदनुसार 3 सितंबर 2019 से 28 अक्टूबर 2020 की अवधि के लिए कुल ₹ 39.74 करोड़ की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। अग्रेतर, नगर निगम लखनऊ ने भी लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में कहा कि जिस अवधि के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी उस अवधि के दौरान संयंत्र का संचालन नहीं

[29] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण (जुलाई 2020) के समय, संयंत्र परिसर में जमा निक्षालक से नमूना एकत्र किया गया था और विश्लेषण रिपोर्ट में विभिन्न घटकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी थी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षण (अगस्त 2022) से आगे पता चला कि ढेर या टीले के रूप में अनियमित और अलग-अलग ठोस अपशिष्ट जमा हो गया था। इस प्रकार, संयंत्र में प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था।

किया गया था। इसके अतिरिक्त, फर्म को नवंबर 2020 के लिए ₹ 41.81 लाख का प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया गया था। अत: राज्य सरकार को उस अवधि के दौरान, जब संयंत्र संचालित नहीं था, अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए फर्म को किये गये ₹ 5.28 करोड़ के भुगतान के लिए दोषी अधिकारियों की जांच करनी चाहिए और उनका उत्तदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

5.3.2 कानपुर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजनान्तर्गत फरवरी 2011 में पनकी भवसिंह में 1,500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया था। संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए नगर निगम कानपुर, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम और ए2जेड इंफ्रा लिमिटेड गुड़गांव के मध्य एक त्रिपक्षीय रियायतग्राही अनुबंध पर अक्टूबर 2010 में हस्ताक्षर किये गये थे। तथापि, ए2जेड इंफ्रा लिमिटेड ने अप्रैल 2014 में पूर्णरूपेण संचालन बंद कर दिया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2016 में एक नये कन्सेसनायर, मैसर्स अर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नियुक्त किया। मैसर्स अर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के तकनीकी प्रबंधन के अंतर्गत एक स्पेशल परपज वेहिकल था। यह नियुक्ति ए2जेड के स्थान पर 30 वर्ष की अवधि के लिए वैध थी। उत्तर प्रदेश सरकार, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम कानपुर, मैसर्स अर्थ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मध्य एक परियोजना कार्यान्वयन अनुबंध पर दिसंबर 2016 में हस्ताक्षर किये गये थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्पेशल परपज वेहिकल, मैसर्स अर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अस्तित्व में नहीं आया। मैसर्स आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के सितंबर 2017 में अनुरोध के उत्तर में नगर निगम कानपुर ने मैसर्स आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को पनकी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन की अनुमति दी। तथापि, मैसर्स आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल

इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ने आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज से अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण अक्टूबर 2019 में संयंत्र के संचालन और रखरखाव को भी बंद कर दिया। इसके बाद संयंत्र का संचालन नगर निगम कानपुर द्वारा किया जा रहा था।

अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही (मैसर्स अर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को परियोजना कार्यान्वयन अनुबंध के 83 सप्ताह में अपशिष्ट-से-ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्र स्थापित करना था, जिसे दिसंबर 2016 में निष्पादित किया गया था । तथापि, अपशिष्ट-से-ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था (जनवरी 2022)। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2014 से जून 2019 तक संयंत्र का विद्युत् संयोजन काट दिया गया था और नगर निगम ने लेखापरीक्षा को सूचित (जनवरी 2022) किया कि फर्म अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए अपने स्वयं के जनरेटर का उपयोग कर रही थी। वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त नहीं की गई थी और जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम कानपुर को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती[30] जमा करने की शर्त के साथ संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) निर्गत की गयी थी। इसके अतिरिक्त, संयंत्र के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2022) के दौरान देखी गयीं महत्वपूर्ण कमियों को ***परिशिष्ट 5.9*** में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि पुराने अपशिष्ट के उपचार के लिये एक नया अनुबंध किया गया है जिसके अंतर्गत 14.50 लाख मीट्रिक टन में से लगभग 6.60 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का पहले ही उपचार किया जा चुका था और यह प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्रतिदिन आने वाले नवीन अपशिष्ट को प्रसंस्कृत किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गयीं कमियों और अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्र स्थापित न किये जाने का विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

[30] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ₹ 19.73 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए कारण बताओ नोटिस (जनवरी 2020) निर्गत किया गया था, परन्तु नोटिस का पालन न करने और बाद में अनुस्मारक निर्गत करने के कारण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ₹ 19.73 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित (जुलाई 2023) किया।

5.3.3 रायबरेली में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम जैतपुर, रायबरेली में कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 70 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित (अक्टूबर 2008) किया गया था। संयंत्र के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ शहर के अपशिष्ट निस्तारण के लिए, 30 वर्ष की अवधि हेतु, नगर पालिका परिषद रायबरेली और मैसर्स एकॉर्ड हाइड्रो एयर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ (फर्म) के मध्य नवंबर 2011 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये थे। फर्म ने नवंबर 2011 में संयंत्र का संचालन शुरू किया।

10 फरवरी, 2022 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि संयंत्र पूरी तरह से बंद था। संयंत्र की स्थिति से पता चलता है कि यह कई वर्षों से संचालित नहीं था। संयंत्र के नजदीक कई घर थे। स्थापित मशीनरी और वाहन खराब स्थिति में थे। इसके अतिरिक्त, संयंत्र के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर 76,000 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का क्षेपण किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि संयंत्र 2021 के मध्य तक संचालित था। तथापि, 2021 के बाद, जब संयंत्र का परिचालन बंद कर दिया, तो फर्म को कई पत्र भेजे गए जिसमें स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया और उनमें संयंत्र की कार्य क्षमता को पुर्नस्थापित करने का आग्रह किया गया। दुर्भाग्यवश, फर्म से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। परिणामस्वरूप, नगर पालिका परिषद ने फर्म को जुलाई 2022 में एक निष्कासन पत्र निर्गत किया। इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती परिक्षेत्र की स्थापना के संबंध में रायबरेली विकास प्राधिकरण के साथ लिखित और मौखिक संचार के बावजूद आवासों का निर्माण होता रहा।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2021 के मध्य तक संयंत्र के संचालन का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद रायबरेली द्वारा प्रदान (अगस्त 2023) की गयी सूचना के अनुसार, नगर पालिका परिषद ने अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण और परिवहन के लिए मार्च 2016 तक फर्म को भुगतान किया था जोकि यह दर्शाता है कि फर्म ने उसके बाद नगर पालिका परिषद में सेवा प्रदान नहीं की थी।

5.3.4 मुजफ्फरनगर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

मुजफ्फरनगर के किदवई नगर में 120 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक संयंत्र अक्टूबर 2011 में स्थापित किया गया था। इसका संचालन मैसर्स ए टू जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। तथापि, संयंत्र को नवंबर 2018 में बंद कर दिया गया था। लंबे समय तक बंद रहने के परिणामस्वरूप, संयंत्र की मशीनरी काफी खराब हो गयी।

संयंत्र का संचालन पुन: प्रारम्भ करने के लिए मशीनरी की मरम्मत करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, मैसर्स रोल्ज़ मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद की ₹ 39.50 लाख की निविदा स्वीकृत की गई थी। संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए अक्टूबर 2020 में शहरी स्थानीय निकाय और फर्म के बीच एक अनुबंध संपादित[31] किया गया था।

5 जुलाई, 2022 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान संयंत्र बंद पाया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि संयंत्र निचले इलाके में था, इसलिए अंदर जल जमाव होने के कारण यह पहुँच योग्य नहीं था | इसके अतिरिक्त, संयंत्र स्थल पर मिश्रित/ पुराने अपशिष्ट की काफी मात्रा का क्षेपण किया गया था, जिसकी वास्तविक मात्रा की गणना करना मुश्किल था।

चित्र 5.1

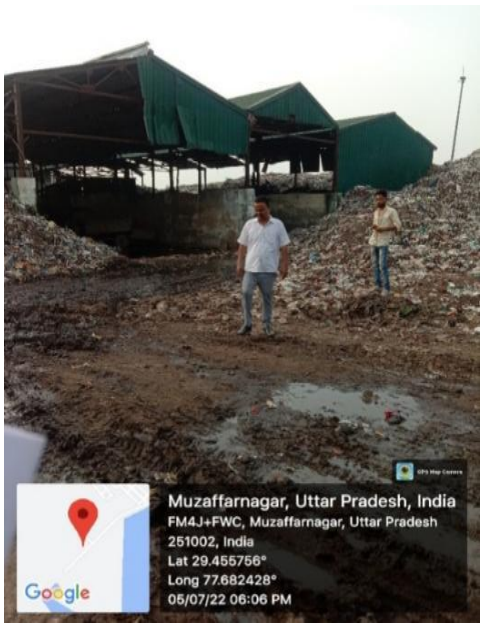

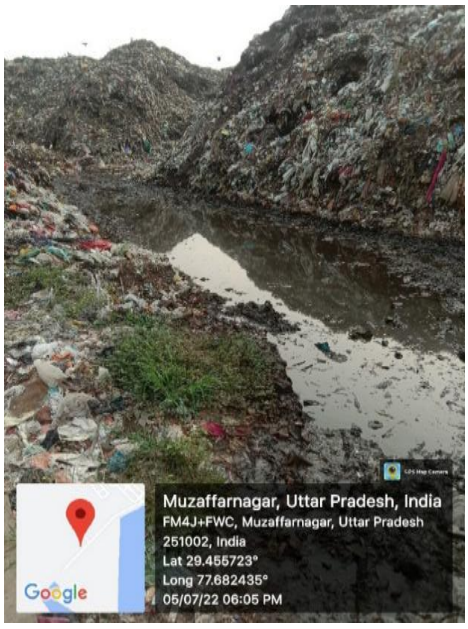

किदवई नगर, **मुजफ्फरनगर** (नगर पालिका परिषद **मुजफ्फरनगर**) **में** असंचालित **संयंत्र**

[31] अनुबंध के अनुसार, फर्म को ₹ 297 प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया जाना था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ठीक से संचालित है। तथापि, उत्तर में इस प्रकरण का उल्लेख नहीं किया गया कि संयंत्र जुलाई 2022 तक असंचालित क्यों था और क्षेपित किये गये पुराने अपशिष्ट के संबंध में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी थी।

5.3.5 रेवती बलिया में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

नगर पंचायत ने 10 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली एकीकृत ठोस अपशिष्ट सुविधा के विकास और संचालन के लिए जुलाई 2020 में निविदायें आमंत्रित कीं। मशीनरी और उपकरणों की स्थापना का ठेका मैसर्स एएफसी इंडिया को ₹ 49.99 लाख[32] की एकमुश्त लागत पर दिया गया था। ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बख्शीश फीस ₹ 297.00 प्रति टन अनुमोदित किया गया था। फर्म को अगस्त 2020 में कार्यादेश निर्गत किया गया था और संयंत्र जनवरी 2021 में संचालित हो गया। नगर पंचायत ने प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण पर ₹ 165.88 लाख[33] का व्यय किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपशिष्ट प्रसंस्करण कार्य उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां प्राप्त किए बिना प्रारम्भ किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 19(3) के अनुसार स्थापना के लिए सहमति और संचालन के लिए सहमति सहित ये अनापत्तियां आवश्यक थी। फर्म ने जनवरी 2021 में अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रारंभ किया और मात्र 564 मीट्रिक टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया, जिसके लिए जनवरी और फरवरी 2021 में फर्म को ₹ 1.68 लाख बख्शीश फीस का भुगतान किया गया था। तथापि, मार्च 2021 में अपशिष्ट प्रसंस्करण रोक दिया गया था और संयंत्र परिसर में जलभराव के कारण जून 2022 तक कार्य अवरुद्ध रहा, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन में बताया गया है।

जून 2022 में किये गए संयुक्त भौतिक सत्यापन से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि मशीनरी संयंत्र स्थल पर स्थापित की गयी थी, परन्तु यह

---

[32] नगर पंचायत ने फर्म को ₹ 19.03 लाख का भुगतान किया (अगस्त 2020) और ₹ 30.96 लाख प्रारम्भ में फर्म द्वारा निवेश किया गया था जिसे नगर पंचायत द्वारा फर्म को ब्याज के साथ वापस किया जाना था।

[33] निर्माण कार्य: ₹115.89 लाख, मशीनरी की क्रय पर व्यय: ₹ 19.03 लाख (नगर पंचायत) और ₹ 30.96 लाख (फर्म)।

संचालित नहीं थी और परिसर के अंदर जलभराव के कारण अपशिष्ट का प्रसंस्करण बाधित हो गया था। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे नाली, वयुपंक्ति चबूतरा और निक्षालक टंकी का निर्माण नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन किया गया था, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया गया था और अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र ही निर्गत हो जायेगी।

5.4 अपशिष्ट का निस्तारण

सभी अपशिष्ट जिन्हें पुन: उपयोग, पुर्नचक्रण या आगे प्रसंस्कृत नहीं किया जा सकता है, अंततः भूमि भरण स्थल विलीन हो जाता है, जो ठोस अपशिष्ट के लिए अंतिम गंतव्य के रूप में काम करता है। भूमि भरण स्थल को उचित नियंत्रण के माध्यम से अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

5.4.1 भूमि भरण की स्थिति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नियम, 2016 के नियम 15 (डब्ल्यू) और 22 में कहा गया कि शहरी स्थानीय निकाय को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के अंदर स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से स्वास्थ्यकर भरण स्थल और संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र पाँच[34] शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के उद्देश्य से प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये गये थे। तथापि, इन पाँच संयंत्रों में से मात्र दो[35] ही संचालित पाये गये। उल्लेखनीय है कि जिन शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए थे वहाँ स्वास्थ्यकर भरण स्थल विकसित नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शेष शहरी स्थानीय निकायों में कोई स्वास्थ्यकर भरण स्थल नहीं था।

[34] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर और नगर पंचायत रेवती बलिया।

[35] नगर निगम कानपुर और नगर निगम लखनऊ।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि स्वास्थ्यकर भरण स्थल को राज्य में स्थापित किये जा रहे प्रत्येक नगरीय ठोस अपशिष्ट की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का हिस्सा बनाया गया है। इसके लिए भूमि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जानी है।

5.4.1.1 भूमि भरण स्थलों को स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने में विफलता

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11(एफ) और 12(ए) में उल्लिखित प्रावधानों में कहा गया है कि राज्य और जिला प्रशासन स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के चिन्हींकरण और आवंटन की सुविधा के लिए उत्तरदायी हैं। यह प्रक्रिया नियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूर्ण की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 651 शहरी स्थानीय निकायों में से 592 शहरी स्थानीय निकायों ने प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य से भूमि का चिन्हींकरण और आवंटन किया है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से तीन[36] निकायों ने मार्च 2022 तक प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए अभी तक भूमि चिन्हित नहीं की थी।

इन शहरी स्थानीय निकायों ने, जिनके पास निर्दिष्ट भूमि भरण स्थलों की कमी थी, अनुचित अपशिष्ट निस्तारण पद्धतियों को अपनाया जैसे कि सड़कों के किनारे, तालाबों, नदियों और वार्डों के भीतर खुले क्षेत्रों के पास अपशिष्ट क्षेपित करना। शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि मिश्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अनधिकृत और अस्वास्थ्यकर क्षेपण किया जाना प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों को 2016 में उनकी जनसँख्या के अनुसार भूमि चिन्हित करने और अधिग्रहण करने का निर्देश दिया गया था जिसे 2019 में पुनः निर्देशित किया गया था।

[36] नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत, नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया और नगर पंचायत बकेवर इटावा।

तथ्य यह है कि मार्च 2022 तक 59 शहरी स्थानीय निकायों को प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई थी।

5.4.1.2 जिला प्राधिकारियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपर्याप्त भूमि के आवंटन के प्रकरण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 12 (ए) के अनुसार, स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के चिन्हींकरण और आवंटन में सहायता प्रदान करना राज्य और जिला स्तरीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है। अग्रेतर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के राज्य मिशन निदेशक ने विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश (जून 2016) निर्गत किये और उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। आदेश में शहरी स्थानीय निकाय के लिए भूमि आवश्यकताओं के मानकों को भी रेखांकित किया गया है, जो **तालिका 5.3** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

तालिका 5.3: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि के आवंटन के मानक

जनसँख्या	प्रसंस्करण संयंत्र हेतु भूमि	10 वर्ष के लिए स्वास्थ्यकर भरण स्थल के लिए भूमि
1 लाख तक	1 हेक्टेयर	4 हेक्टेयर
1 लाख से 5 लाख	प्रति लाख जनसंख्या पर 1 हेक्टेयर	2.5 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या
5 लाख से अधिक आबादी	प्रति लाख जनसंख्या पर 1 हेक्टेयर	1.5 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या

(स्रोत: राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन शहरी)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जांच किये गए 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 42 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए जिलाधिकारियों द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। तथापि, 36 शहरी स्थानीय निकायों (18 नगर पालिका परिषद और 18 नगर पंचायत) में आवंटित भूमि **तालिका 5.3** में उल्लिखित मानकों की तुलना में अपर्याप्त पायी गयी थी। आवश्यकता की तुलना में भूमि की कमी नगर पालिका परिषदों के लिए छः से 98 प्रतिशत और नगर पंचायतों के लिए 47 से 96 प्रतिशत के मध्य थी. जैसा कि ***परिशिष्ट 5.10*** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन को सौंपा गया है। ***परिशिष्ट 5.10*** में उल्लिखित भूमि जो कि मानक से बहुत कम है, अन्य परियोजनाओं (सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, गड्ढा कम्पोस्टीकरण, इत्यादि) के लिए चिन्हित की गयी थी और स्वास्थ्यकर भरण स्थल के लिये भूमि अभी भी क्रय किये जाने की प्रक्रिया में थी।

5.4.1.3 भूमि भरण /प्रसंस्करण संयंत्र *स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त न किया जाना*

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (वाई) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को निस्तारण सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है यदि उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा प्रति दिन पांच मीट्रिक टन से अधिक है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि राज्य में 17 संचालित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में से मात्र तीन[37] ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से 36 शहरी स्थानीय निकाय प्रतिदिन पांच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे थे। तथापि, मात्र पाँच[38] शहरी स्थानीय निकायों ने प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की थीं और उनमें से मात्र दो[39] ही क्रियाशील पाये गये । अग्रेतर, मुजफ्फरनगर और रायबरेली में संयंत्र, जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में क्रियाशील बताया गया था, लेखापरीक्षा के दौरान अक्रियाशील पाये गये थे। इनमें से किसी भी शहरी स्थानीय निकाय[40] ने प्रसंस्करण सुविधाओं या भूमि भरण स्थलों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त नहीं किया था।

---

[37] मैनपुरी, इटावा और प्रयागराज।

[38] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर और नगर पंचायत रेवती बलिया।

[39] नगर निगम कानपुर और नगर निगम लखनऊ।

[40] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर और नगर पंचायत रेवती बलिया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के प्रकरण में प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन था और नगर पालिका परिषद रायबरेली में प्रसंस्करण सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया जायेगा।

5.4.1.4 मध्यवर्ती परिक्षेत्र अधिसूचित न होना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 11(एल) में उल्लेखित है कि शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव, प्रति दिन पाँच टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं के लिए मध्यवर्ती परिक्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, नियम 14(एच) में उल्लेखित है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मध्यवर्ती परिक्षेत्र बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करना चाहिए, जो प्रति दिन पाँच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट का हथालन करने वाले विभिन्न आवासीय, वाणिज्यिक या अन्य निर्माण गतिविधियों को अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की बाहरी सीमा के बाहर प्रतिबंधित करते है।

अग्रेतर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अप्रैल 2017 में मध्यवर्ती परिक्षेत्र बनाये रखने के लिए दिशानिर्देश निर्गत किये थे, तत्पश्चात अप्रैल 2019 में स्पष्टीकरण जारी किये गये। स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रसंस्करण इकाई की सीमा से 200-500 मीटर तक भूमि क्षेत्र को सुविधा स्थापना से बाहर रखा जाना चाहिए, और इसे 30 वर्षों के लिए "विकास रहित क्षेत्र" के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिये। तथापि, इस भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 36 शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिदिन पाँच मीट्रिक टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते पाया गया, जिसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 5.11*** में दिया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 35 शहरी स्थानीय निकाय (बिलसंडा पीलीभीत के अतिरिक्त) को भूमि आबंटित की गई थी। तथापि, निदेशक स्थानीय निकाय ने सूचित (नवंबर 2021) किया कि वर्तमान में मध्यवर्ती परिक्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया गया है और मध्यवर्ती परिक्षेत्र घोषित करने के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके बाद, राज्य सरकार ने सूचित (जून 2023) किया कि नगर निगम

लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली और नगर पंचायत रेवती बलिया में मध्यवर्ती परिक्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रकार, 33 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अभी भी मध्यवर्ती परिक्षेत्र अधिसूचित करना शेष था।

5.4.1.5 भूमि भरण स्थलों के चयन/संचालन में अनियमितताएं

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची I(ए)(VII) भूमि भरण के लिए स्थल चयन हेतु मानदंड निर्धारित करती है। इन मानदंडों के अनुसार, भूमि भरण स्थल नदियों से 100 मीटर दूर, तालाबों, राजमार्गों, बस्तियों, सार्वजनिक पार्कों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर दूर और विमानपत्तनों या हवाई अड्डों से 20 किमी दूर स्थित होनी चाहिये। तथापि, भूमि भरण स्थलों और खुले क्षेपण स्थलों के चयन और संचालन में अनेकों अनियमितताएं पायी गयीं, जो इस प्रकार हैं:

- नगर पंचायत जहांनाबाद, पीलीभीत के प्रकरण में, ग्राम जहांनाबाद में स्थित 0.54 हेक्टेयर भूमि (गाटा संख्या 830) को भूमि भरण स्थल के लिए आवंटित किया गया था। तथापि, यह भूमि विवादित थी और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। दिसंबर 2019 में, नगर पंचायत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अन्यत्र उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए जिलाधिकारी के समक्ष प्रकरण रखा। जनवरी 2023 तक, वैकल्पिक भूमि अभी तक आवंटित नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, अनुपयुक्त स्थल चयन के कारण, नगर पंचायत ने सड़कों के किनारे, जलाशयों के समीप और आवासीय क्षेत्रों के सन्निकट ठोस अपशिष्ट क्षेपित किया जा रहा था, जैसा कि नगर पंचायत जहांनाबाद के कर्मचारियों के साथ किये गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान स्पष्ट हुआ।

चित्र 5.2

नगर पंचायत जहांनाबाद, पीलीभीत

- नगर पंचायत कटरा, शाहजहांपुर ने फरवरी 2020 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम भमौरी, तहसील तिलहर में ₹ 19.09 लाख लागत में 0.740 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी । स्थानीय किसानों के विरोध के कारण इस भूमि का उपयोग न तो सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए और न ही अपशिष्ट क्षेपित करने के लिए किया जा रहा था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में पता चला कि नगर पंचायत द्वारा सड़क के किनारे मिश्रित अपशिष्ट क्षेपित किया जा रहा था, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

चित्र 5.3

नगर पंचायत कटरा, शाहजहाँपुर

- नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती ने रुद्र नगर में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र का निर्माण (जून 2020) प्रारम्भ किया। इस स्थल हेतु कोई पहुंच मार्ग नहीं था। पहुंच मार्ग की अनुपलब्धता के कारण परिवहन वाहन इस स्थल तक नहीं पहुँच सकते थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी 2022) में पता चला कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र निर्माणाधीन था और नगर पंचायत द्वारा सड़क के किनारे मिश्रित अपशिष्ट का क्षेपण किया जा रहा था, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

चित्र 5.4

नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती

- जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्यकर भरण स्थल विकसित करने के लिए नगर पालिका परिषद सिकंदराराव, हाथरस को ग्राम सभा सिकंदराराव देहात में एक हेक्टेयर भूमि आवंटित (नवंबर 2020) किया गया था परन्तु भूमि भरण स्थल तक पहुंचने के लिए पहुँच मार्ग नहीं था। इसलिए, नगर पालिका परिषद ने भूमि भरण स्थल पर अपशिष्ट के परिवहन के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध (मार्च 2022) किया, तथापि, अभी तक (नवंबर 2022) यह उपलब्ध नहीं कराया गया था।

- नगर पंचायत राजापुर, चित्रकूट को जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा ग्राम मझगवां, तहसील राजापुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी। आबंटित भूमि यमुना नदी के समीप स्थित थी और इस भूमि पर एकत्र ठोस अपशिष्ट बाढ़ के दौरान नदी में मिश्रित हो जाने की संभावना थी और बरसात के मौसम के दौरान रिसने वाला निक्षालक नदी के जल को प्रदूषित कर सकता था। भूमि की अनुपयुक्तता और मृदा की स्थिति के कारण, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चित्रकूट ने जिलाधिकारी चित्रकूट से अनुरोध किया कि या तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये मुफ्त भूमि आवंटित की जाय या नगर पंचायत को 15$^{वें}$ वित्त आयोग अनुदान के टाईड मद से भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिलाधिकारी द्वारा न तो उपयुक्त भूमि आबंटित की गयी और न ही नगर पंचायत को भूमि क्रय करने की अनुमति दी गयी और नगर पंचायत ने उक्त स्थल पर ठोस अपशिष्ट का क्षेपण करना जारी रखा, जो उपयुक्त नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि नदी के निकट आवंटित स्थल पर अपशिष्ट का ढेर लगा हुआ था। यह पाया गया कि वर्षा के

दौरान नदी के पानी में ठोस अपशिष्ट के मिश्रण को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

चित्र 5.6

नगर पंचायत राजापुर, चित्रकूट, यमुना नदी के निकट क्षेपित किया गया ठोस अपशिष्ट

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए जिलाधिकारी द्वारा अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध करायी गयी है और ग्राम मझगवां, तहसील राजापुर की भूमि पर क्षेपित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कर दिया गया है।

- दिसंबर 2020 में, नगर पंचायत जरवल, बहराइच को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा 0.500 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी। यह भूमि सरयू नदी के निकट स्थित थी। इस स्थल पर सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के निर्माण के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट का क्षेपण किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, आवंटित भूमि रेतीली थी और नदी के पानी के कारण बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा था। जून 2021 में, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जरवल ने जिलाधिकारी, बहराइच को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दूसरी उपयुक्त भूमि के आवंटन का प्रस्ताव भेजा। मई 2022 तक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं की गयी थी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2022) में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त भूमि की कमी के परिणामस्वरूप, नगर पंचायत द्वारा लखनऊ-बहराइच राज्य राजमार्ग पर सड़क किनारे और मिल रोड चौराहा में आवासीय क्षेत्रों के समीप अपशिष्ट क्षेपित किया जा रहा था।

चित्र 5.7	
नगर पंचायत जरवल, बहराइच	नगर पंचायत जरवल, बहराइच

- जिलाधिकारी औरैया ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए सौंधेमऊ गांव में 1.2 हेक्टेयर भूमि आवंटित (नवंबर 2019) किया। चूंकि आवंटित स्थल शहर से काफी दूर (15 किमी) था, इसलिए नगर पालिका परिषद द्वारा इस स्थान पर ठोस अपशिष्ट का परिवहन नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप नगर पालिका परिषद द्वारा गुरसहायगंज-जालौन मार्ग के किनारे तथा जालौन मुख्य मार्ग पर ग्राम सबा खानपुर में सड़क किनारे आवासीय क्षेत्रों के निकट ही अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, आवंटित स्थल का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा था।

5.4.1.6 भूमि भरण स्थलों/प्रसंस्करण संयंत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I में उन आवश्यक सुविधाओं की रुपरेखा दी गयी है जो भरण स्थलों या प्रसंस्करण संयंत्रों पर मौजूद होनी चाहिए। **चार्ट 5.2** नमूना जांच किये गये पाँच[41] शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित पाँच ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में इन सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति को दर्शाता है। अग्रेतर, शेष 40 शहरी स्थानीय निकायों में कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन करते हुए उपयोग किए जा रहे भरण स्थलों पर कोई निर्धारित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

[41] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फर नगर, नगर पंचायत रेवती बलिया।

चार्ट 5.2: भूमि भरण स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

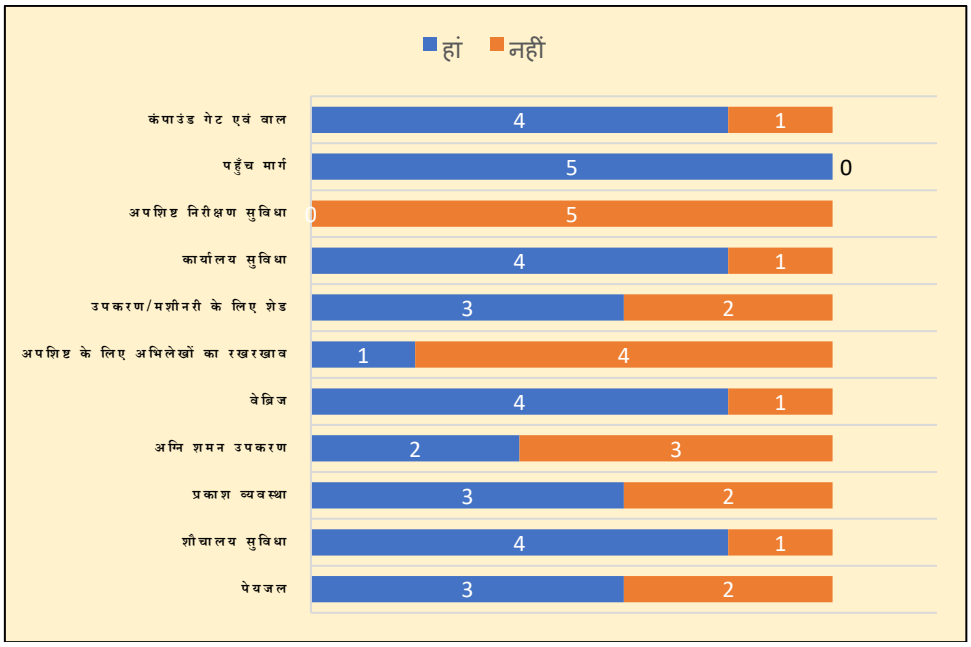

(स्रोत: नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

चार्ट 5.2 में यह स्पष्ट है कि नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में भूमि भरण स्थलों या प्रसंस्करण संयंत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में निर्दिष्ट बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर (जून 2023) प्रस्तुत नहीं किया।

5.4.2 पुराने अपशिष्ट का निस्तारण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची-I के खंड 'जे' में कहा गया है कि क्षेपित ठोस अपशिष्ट जो अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच गए हों या नवीन और उचित रूप से डिज़ाइन किये गये भूमि भरण स्थल की स्थापना के बाद अतिरिक्त अपशिष्ट प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और उनका नवीनीकरण[42] किया जाना चाहिए।

[42] पुनर्वास निम्नलिखित विकल्पों की जांच करके किया जाना है: (i) जैव खनन और अपशिष्ट प्रसंस्करण द्वारा अपशिष्ट को कम करना जिसके बाद नए भरण स्थलों या नीचे (ii) के अनुसार आच्छादन में अवशिष्टों को रखा जायेगा (ii) ग्रीनहाउस गैसों के संग्रहण और चमकाने /उपयोग में समर्थ बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट आवरण या जियोमेम्ब्रेन में संवर्धित ठोस अपशिष्ट आवरण से आच्छादित किया जाना (iii) ऊपर (ii) के अनुसार अतिरिक्त उपायों (जलोढ़ और अन्य खुरदरी दानेदार मिट्टियों में) जैसे संदूषित भूजल को निकालने और शोधित करने के लिए कट-ऑफ वॉल और निष्कर्षण कुओं में आच्छादन (iv) स्वीकार्य स्तर तक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त कोई अन्य पध्दति ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित सुविधाओं की स्थापना न होने और पुराने अपशिष्ट के उपचार और सुरक्षित निस्तारण में विफलता के कारण 651 शहरी स्थानीय निकायों में से 650 पर ₹ 110.40 करोड़[43] की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती अधिरोपित करने के लिए नोटिस निर्गत किया। यह इंगित करता है कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट के निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया कि 651 शहरी स्थानीय निकायों में से 72 में पुराने अपशिष्ट का आँकलन पूर्ण हो चुका है, जिससे स्पष्ट होता है कि कुल 84,57,782 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का क्षेपण किया गया है ***(परिशिष्ट 5.12)***। तथापि, सर्वेक्षण न किए जाने के कारण शेष 579 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट की मात्रा का आँकलन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, राज्य सरकार ने पुराने अपशिष्ट के निस्तारण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किये।

इसके अतिरक्त, 20 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट स्थलों के जैव-उपचार (निस्तारण) और समाशोधन के लिए नवंबर 2021 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इनमें से 17 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट का जैव-उपचार प्रगति पर था। तथापि, एक शहरी स्थानीय निकाय[44] में, फर्म के चयन के बावजूद, मशीनरी स्थापना के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण पुराने अपशिष्ट का जैव-उपचार प्रारम्भ नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, शेष दो शहरी स्थानीय निकायों[45] में, पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के लिए फर्म का अभी तक चयन नहीं किया गया है ***(परिशिष्ट 5.13)***। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार की स्थिति पर आगामी प्रस्तर में चर्चा की गयी है।

[43] 15 नगर निगमों पर ₹ 14.55 करोड़ और 635 नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों पर ₹ 95.85 करोड़ ।

[44] नगर पालिका परिषद बलिया

[45] नगर पालिका परिषद बहराइच और नगर पालिका परिषद सीतापुर।

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में पुराने अपशिष्ट की स्थिति

- ***नॉर्थ रामपुरी, रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर***

जुलाई 2022 में आयोजित संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि पूर्व में ठोस अपशिष्ट को शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में रुड़की रोड के किनारे क्षेपित किया जाता था। वर्तमान में, यह भूमि भरण स्थल शहर के मध्य में स्थित है, जो आवासीय क्षेत्रों के समीप होने के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। समय के साथ स्थल पर काफी मात्रा में पुराने अपशिष्ट जमा हो गया है, और इसके निस्तारण के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

चित्र 5.8

पुराना अपशिष्ट (नॉर्थ रामपुरी, रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर)

- ***किदवईनगर, मुजफ्फरनगर***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 17 नवंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित किया था। तदनुसार, पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के लिए निविदा आमंत्रित (नवंबर 2021) की गयी और प्रेमपुरी निकट मछली तालाब किदवई नगर, मुजफ्फरनगर में 2.25 लाख मीट्रिक टन क्षेपित पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के लिए धनराशि ₹ 986.24 लाख (₹ 439 प्रति मीट्रिक टन जीएसटी के अतिरिक्त) की मेसर्स एनवायर्नमेंटल टेक्नो, आगरा और मेसर्स दया चरण एंड कंपनी, नई दिल्ली की निविदा स्वीकृत की गयी। उक्त फर्म द्वारा जैव-उपचार का कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 5 जनवरी 2022 और 4 सितंबर 2022 थी।

उक्त फर्म द्वारा 41,041.56 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का निस्तारण करने के बाद, मई 2022 में भुगतान के लिए नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर को धनराशि ₹ 2.02 करोड़ का बिल प्रस्तुत किया गया था। तथापि, जुलाई 2022 तक, नगर पालिका परिषद ने भुगतान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 5 जुलाई 2022 को संपादित संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि संयंत्र को बंद कर दिया गया था और, उचित निस्तारण के बजाय, कचरा व्युत्पन्न ईंधन, निष्क्रीय अपशिष्ट और मिट्टी को पृथक कर दिया गया और उसी स्थल पर क्षेपण कर दिया गया, जिससे पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के औचित्य के बारे में आशंका उत्पन्न हुयी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के लिए संयंत्र वर्तमान में ठीक से काम कर रहा था और जुलाई 2022 तक कुल 58,341 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया था। तथापि, उत्तर से पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं होती है|

संक्षेप में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में से कार्यदायी संस्था द्वारा मात्र 20 संयंत्र स्थापित किये गये थे, जिनमें से पाँच संयंत्र असंचालित थे। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत स्वीकृत 36 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के सापेक्ष 17 संयंत्रों का सिविल कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका और शेष 19 संयंत्र जहां सिविल कार्य पूर्ण हो गया था, उन्हें जून 2023 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका क्योंकि इन संयंत्रों के लिए मशीनरी क्रय नहीं की गयी थी। नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में कमी पायी गयी थी। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के लिए चिन्हित भूमि की कमी थी और 36 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के प्रकरण में आबंटित भूमि अपर्याप्त पायी गयी थी। शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के उचित निस्तारण की कमी के कारण पुराने अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है जो बाद में पर्यावरण के प्रदूषित होने और परिवेश के मलिन होने का कारण बनता है।

अनुसंशा 10: *राज्य सरकार को नियमित रूप से उत्पादित ठोस अपशिष्ट और शहरी स्थानीय निकायों में क्षेपित किये गये पुराने अपशिष्ट का*

शीघ्रातिशीघ्र वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये।

अनुसंशा 11: *राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करना चाहिये।*

अनुसंशा 12: *राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थलों पर शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त भूमि का आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए।*